हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः प.5(33)एचजेयू/प्रशा/मीटिंग/वि.प.–VII/2023/3362 दिनांकः 28/8/2023

विद्यापरिषद् की सप्तम बैठक दिनांक 23.08.2023 का कार्यवृत्त

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 25 के अन्तर्गत गठित विद्यापरिषद् की सप्तम बैठक दिनांक 23.08.2023 को दोपहर 01:00 बजे सभागार, होटल खासा कोठी, एम.आई. रोड, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में विद्यापरिषद् के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1.	प्रो. सुधि राजीव	कुलपति एवं पदेन अध्यक्ष विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
2.	श्रीमती अलका सक्सेना	अतिरिक्त निदेशक एवं नाम निर्देशित प्रमुख सचिव सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
3.	डॉ. फिरोज अख्तर	संयुक्त सचिव एवं नाम निर्देशित प्रभारी सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
4.	डॉ. राजेश कुमार व्यास	कुलाधिपति द्वारा मनोनीत सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
5.	श्री ओम सैनी	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
6.	डॉ. ऋचा यादव	कार्यकारी संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता संकाय एवं संयोजक BoS, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एण्ड पब्लिक रिलेशंस विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद, एचजेयू, जयपुर

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

223

(204)

7.	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	कार्यकारी संकायाध्यक्ष, जनसंचार संकाय एवं संयोजक BoS, डवलपमेंट कम्यूनिकेशन विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद, एचजेयू, जयपुर
8.	डॉ. रतन सिंह शेखावत	संयोजक BoS, मीडिया स्टडीज विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद, एचजेयू, जयपुर
9.	श्रीमती गरिमा श्री	संयोजक BoS, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद, एचजेयू, जयपुर
10.	डॉ. अजय कुमार सिंह	संयोजक BoS, बीए–जेएमसी एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद, एचजेयू, जयपुर
11.	श्री अजय कुमार आर्य	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, विद्यापरिषद, एचजेयू, जयपुर

बैठक के आरम्भ में कुलसचिव महोदय द्वारा विद्यापरिषद के विभिन्न सदस्यों तथा सदन के सभी सदस्यों द्वारा नवीन कुलसचिव महोदय का स्वागत किया गया। कुलपति महोदया ने अपने उद्बोधन में विश्वविद्यालय की विशिष्ट अपेक्षाओं और आवश्यकताओं की चर्चा की। तदुपरान्त विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित विद्यापरिषद के कृत्यों/शक्तियों के अनुसार बैठक में कार्यसूची (एजेंडा) पर बिन्दुवार विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। बैठक में पारित निर्णयों का कार्यसूचीवार विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण
7–1	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 46 एवं 47 के अनुसरण में परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियम) द्वारा तैयार निम्नांकित आर्डिनेंस के प्रारूपों पर विचार एवं अनुमोदन : 1. Recruitment & Service Rules for Academic Staff (Based on UGC regulation 2018) संबंधी आर्डिनेंस–प्रारूप 2. Recruitment & Service Rules for officers of University (Based on Hand Book of University of Rajasthan, Jaipur) संबंधी आर्डिनेंस–प्रारूप

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

(20c)

(225) 224

HJU

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

	Recruitment & Service Rules for Ministerial Staff of University (Based on The Rajasthan Subordinate Officers Ministerial Service Rules 1999 and Modification introduced thereafter.) संबंधी आर्डिनेंस–प्रारूप
	व्याख्यात्मक नोट : विश्वविद्यालय में अकादमिक एवं शैक्षणिक स्टाफ, अधिकारियों तथा अशैक्षणिक मंत्रालयिक स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारम्भ की जानी है। इस हेतु इनकी भर्ती एवं सेवानियमों हेतु उक्तानुरूप ऑर्डिनेंस–प्रारूपविश्वविद्यालय के परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियम) द्वारा तैयार किए गए हैं। उक्त ऑर्डिनेंस विद्यापरिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। क्र.सं. 01 पर उद्धृत ऑर्डिनेंस–प्रारूप के संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2018 के पश्चात दिनांक 30 जून, 2023 एवं दिनांक 31 जुलाई, 2023 को संशोधित अधिसूचना जारी की गई है (संलग्न)। इस संबंध में राज्य सरकार को उक्त अधिसूचनाओं को अनुमत किए जाने/मार्गदर्शन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा 03 पत्र दिए गए हैं (संलग्न)। यदि राज्य सरकार उक्त को अनुमत कर देती है, तो उक्तानुसार परिवर्तन/संशोधन के लिए माननीय कुलपति को अधिकृत किया जाना भी प्रस्तावित है।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वप्रथम कुलपति महोदया द्वारा सदस्यों को अवगत करवाया गया कि प्रबंध बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 28.04.2022 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में तैयार किए जा रहे परिनियम/नियम/ऑर्डिनेंस प्रारूपों आदि के परीक्षण/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन के लिए समिति गठित की गई थी। परामर्शदाता महोदय द्वारा तैयार किए गए उक्त तीनों ऑर्डिनेंस समिति की दिनांक 21 एवं 22 अगस्त, 2023 को बैठक में प्रस्तुत किए गए तथा समिति द्वारा इनमें कतिपय संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। समिति की अनुशंसानुरूप संशोधन उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

समिति द्वारा संशोधित उक्त तीनों ऑर्डिनेंस प्रारूपों पर गहन विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया :

1. Ordinance relating to Recruitment and Service Rules for Teachers and other Academic Staff in University (based on UGC Regulation dated 18th July, 2018).
2. Ordinance for Recruitment and Service Rules for officers in University.
3. Ordinance for Recruitment and Service Conditions for Ministerial Staff of University (Based on The Rajasthan Subordinate Officers Ministerial Service Rules, 1999 and Modification introduced time to time).

क्र.सं. 01 पर उद्धृत ऑर्डिनेंस प्रारूप के संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2018 के पश्चात दिनांक 30 जून, 2023 एवं दिनांक 31 जुलाई, 2023 को जारी संशोधित अधिसूचना को राज्य सरकार द्वारा अनुमत किए जाने की स्थिति में उक्तानुसार परिवर्तन/संशोधन के लिए सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से माननीय कुलपति को अधिकृत किया जाना भी अनुमोदित किया गया।

विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 की धारा 47(1–4) के अनुसरण में विद्यापरिषद के अनुमोदन उपरान्त इन सभी प्रारूप ऑर्डिनेंसों को प्रबंध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात् इन्हें माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमोदन हेतु भिजवाया जाएगा।

कुलपति महोदया ने बताया कि इन तीन प्रारूप ऑर्डिनेंस के साथ ही विद्यापरिषद की पंचम बैठक दिनांक 13.06.2023 में अनुमोदित दो ऑर्डिनेंस यथा चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम ऑर्डिनेंस एवं शोध ऑर्डिनेंस तथा षष्ठम बैठक दिनांक 01.08.2023 में अनुमोदित ऑर्डिनेंस (Ordinance for the Certificate and Diploma Courses of Study) को भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा इनमें भी कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

समिति द्वारा संशोधन के बाद प्रस्तुत निम्नानुसार दो ऑर्डिनेंस प्रारूपों पर भी सदन द्वारा गहन विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया :

1. Ordinance for Choice – Based Credit System
2. Ordinance of Ph.D. (Doctor of Philosophy)

विद्यापरिषद द्वारा समिति से परीक्षण उपरान्त प्रस्तुत Ordinance for the Certificate and Diploma Course of Study पर विचार–विमर्श कर कतिपय संशोधन करवाए गए एवं संशोधन के बाद उक्त ऑर्डिनेंस प्रारूप का भी सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया (संलग्न)।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

7–2	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ की कमी के मद्देनज़र अध्यापन हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यासंबल योजना अन्तर्गत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं प्राप्त किया जाना। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में 05 प्रोफेसर, 10 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 15 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में मात्र 01 एसोसिएट प्रोफेसर तथा 06 असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। यद्यपि विश्वविद्यालय स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर शीघ्र ही नियमित पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ कर रहा है, तथापि राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त सीमित पदों पर भर्ती की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है (पत्र संलग्न)। ऐसे में नियमित भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हो जाने पर भी अधिकांश शैक्षणिक पद रिक्त रहेंगे। जिसके कारण शैक्षणिक गतिविधियों का सुचारू संचालन संभव नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्यासंबल योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय भी अतिथि शिक्षकों अध्यापन हेतु आमंत्रित करना चाहता है। परन्तु विद्यासंबल योजना में संबंधित वित्तीय भार का वहन विश्वविद्यालय के निजी संसाधनों से किए जाने की शर्त के कारण कठिनाई उत्पन्न हो रही है, क्योंकि यह एक नव स्थापित विश्वविद्यालय है तथा विशेषीकृत शिक्षा का होने के कारण भविष्य में भी विद्यार्थी संख्या बहुत अधिक होने की संभावना नहीं है। ऐसे में शुल्क से प्राप्त आय सीमित ही रहेगी। राज्य सरकार को उक्त शर्त में शिथिलन हेतु पत्र दिया गया है तथा शिथिलन मिलने स्थिति में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं लिए जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
	<u>निर्णय / टिप्पणी</u> विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाई पर सभी सदस्यों ने संतोष जताया परन्तु विश्वविद्यालय की वित्तीय परिस्थितियों के मद्देनज़र राज्य सरकार को, विद्यासंबल योजनान्तर्गत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं लिए जाने के लिए वित्तीय भार विश्वविद्यालय द्वारा वहन करने की शर्त में शिथिलन दिए जाने हेतु, पुनः पत्र दिए जाने एवं अतिरिक्त प्रयास करने का सुझाव दिया।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

7–3	विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने के संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक प.16(1) शिक्षा–4/2019 पार्ट 2 दिनांक 01.08.2023 पर विचार।
	निर्णय / टिप्पणी राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को स्वीकृत विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों को अत्यन्त सीमित संख्या में भरे जाने की स्वीकृति पर विचार–विमर्श किया गया। सभी सदस्यों का मत था कि इस प्रकार की परिस्थिति विश्वविद्यालय की प्रगति एवं विकास में बाधा डालेगी तथा साथ ही यह नियमित शैक्षणिक गतिविधियों एवं रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। सदस्यों ने सुझाव दिया कि इस संबंध में पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार को पत्र दिया जाए।
7–4	**प्रतिवेदनीय एजेंडा**
7–4–1	विश्वविद्यालय के नव निर्मित्त दो डिपार्टमेंट ब्लॉक का उद्घाटन दिनांक 15.09.2023 से 25.09.2023 के मध्य करवाए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित पत्र क्रमांक 2526 दिनांक 26.07.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सभी सदस्यों ने विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई दी।
7–4–2	विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती के संबंध में उपस्थित मुद्दों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को प्रेषित पत्र क्रमांक 2828 दिनांक 04.08.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 2828 दिनांक 04.08.2023 की पुष्टि की गई।

D: S./VP - VII/Minutes/2023

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

7–4–3	विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती के लिए पदवार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु प्रेषित पत्र क्रमांक 1250 दिनांक 06.06.2023 की पुष्टि।
	व्याख्यात्मक नोट : उक्त पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती के लिए पदवार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। राज्य सरकार के पत्र द्वारा विश्वविद्यालय को अत्यन्त सीमित संख्या (05 प्रोफेसर में से सिर्फ 01 पद, 10 एसोसिएट प्रोफेसर में से 04 पद तथा 15 असिस्टेंट प्रोफेसर में से 04 पद एवं 02 सहायक कुलसचिव में से 01 पद) में पद भरने की स्वीकृति प्राप्त हुई है (पत्र संलग्न)।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 1250 दिनांक 06.06.2023 की पुष्टि की गई।
7–4–4	कुलपति महोदया द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विश्वविद्यालय में संचालित पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एण्ड मास कम्यूनिकेशन पाठ्ययोजना में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सहयोग प्रदान किए जाने के लिए निर्देशित करने के आग्रह सहित प्रेषित पत्र क्रमांक 2525 दिनांक 26.07.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 2525 दिनांक 26.07.2023 की पुष्टि की गई।
7–4–5	विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कतिपय अशैक्षणिक पदों को सम्मिलित कर संबंधित संवर्ग के निम्नतम पद पर नियमित भर्ती किए जाने की स्वीकृति बाबत प्रेषित पत्र क्रमांक 19926 दिनांक 24.02.2023 की पुष्टि। राज्य सरकार द्वारा पत्रांक प.16(1)शिक्षा–4/2019 पार्ट 2 दिनांक 29.03.2023 से स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 19926 दिनांक 24.02.2023 की पुष्टि की गई तथा राज्य सरकार के सहयोग पर संतोष जताया।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

229

(210)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय

HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

7–4–6	विश्वविद्यालय में स्वीकृत कतिपय पदों (पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष) का संवर्ग संशोधित किए जाने बाबत प्रेषित पत्र क्रमांक 20409 दिनांक 20.03.2023 की पुष्टि। राज्य सरकार द्वारा पत्रांक प.16(3)शिक्षा–4/2022 दिनांक 04.04.2023 के माध्यम से उक्त संशोधन कर दिया गया है।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 20409 दिनांक 20.03.2023 की पुष्टि की गई तथा राज्य सरकार के सहयोग पर संतोष जताया।
7–4–7	विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 5(i), (ii) एवं 7(ग) में विहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिनियम की धारा 11(19) में कुलपति को प्राप्त शक्तियों के आधार पर विश्वविद्यालय में सत्र 2023–24 के लिए चार वर्षीय स्नातक (ऑनर्स) मीडिया स्टडीज पाठ्ययोजना में अधिकतम 30 एवं न्यूनतम 10 सीटों पर प्रवेश दिए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 2966 दिनांक 10.08.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2966 दिनांक 10.08.2023 की पुष्टि की गई।
7–4–8	विश्वविद्यालय द्वारा प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय को शैक्षणिक स्टाफ की कमी के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुरूप एड्जंक्ट फैकल्टी की सेवाएं लिए जाने की स्वीकृति हेतु प्रेषित पत्र क्रमांक 3149 दिनांक 18.08.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 3149 दिनांक 18.08.2023 की पुष्टि की गई। एजेंडा में प्रेषित पत्र के उल्लेख के क्रम में त्रुटि संशोधन कर राज्यपाल सचिवालय के स्थान पर उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार करवाया गया।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

7–4–9	विश्वविद्यालय में छात्रावास निर्माण सहित कार्य पूर्ण होने के उपरांत विश्वविद्यालय को नवीन परिसर में स्थानांतरित करने तथा शैक्षणिक सत्र 2023–24 के दौरान तथा शैक्षणिक गतिविधियों के पूर्ववत होटल खासा कोठी में ही तथा प्रशासनिक कार्यालय शिक्षा संकुल में ही संचालित किए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित पत्र क्रमांक 2979 दिनांक 10.08.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 2979 दिनांक 10.08.2023 की पुष्टि की गई।
7–4–10	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की भर्ती के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2023 के दृष्टिगत, भर्ती प्रक्रिया के लिए उक्त अधिसूचना को अंगीकृत किए जाने हेतु प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र क्रमांक 3123 दिनांक 18.08.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 3123 दिनांक 18.08.2023 की पुष्टि की गई।
7–4–11	विश्वविद्यालय द्वारा कॅरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत शिक्षकों को प्रोन्नति दिए जाने के क्रम में वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के संबंध में प्रेषित पत्र क्रमांक 2796 दिनांक 03.08.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 2796 दिनांक 03.08.2023 की पुष्टि की गई। उक्त संबंध में बैठक में उपस्थित शिक्षक सदस्यों द्वारा कॅरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी कार्रवाई को यथासंभव शीघ्रता से करवाए जाने का आग्रह किया गया।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

HJU

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

7–4–12	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दिनांक 31 जुलाई, 2023 की अधिसूचना (संलग्न) जिसमें कॅरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत प्रोन्नत किए जाने के संबंध में, दिनांक 17.01.2019 से पूर्व अर्हता रखने वाले शिक्षकों को शिथिलन दिया जाना प्रावधित किया गया है, के संबंध में अनुमति दिए जाने बाबत राज्य सरकार को प्रेषित पत्र क्रमांक 2864 दिनांक 04.08.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 2864 दिनांक 04.08.2023 की पुष्टि की गई।
7–4–13	राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर सीमित संख्या में भर्ती की प्रशासनिक स्वीकृति किए जाने के संबंध में राज्य सरकार को प्रेषित पत्र क्रमांक 2865 दिनांक 04.08.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 2865 दिनांक 04.08.2023 की पुष्टि की गई।
7–4–14	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायक प्रोफेसर पद हेतु अर्हता के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2023 के क्रम में राज्य सरकार को प्रेषित पत्र क्रमांक 2214 दिनांक 13.07.2023 एवं क्रमांक 3123 दिनांक 18.08.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 2214 दिनांक 13.07.2023 एवं क्रमांक 3123 दिनांक 18.08.2023 की पुष्टि की गई।
7–4–15	विश्वविद्यालय द्वारा प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय को शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु नियमों के संबंध में प्रेषित पत्र क्रमांक 20428 दिनांक 20.03.2023 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार।
	निर्णय / टिप्पणी सदस्यों द्वारा समिति रिपोर्ट को विचार किए जाने के स्थान पर सूचनार्थ स्वीकार किया गया।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

232

(233)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

7–5	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदया की अनुमति से। कुलपति महोदया ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए रोस्टर रजिस्टर तथा आरक्षण प्रावधानों के संबंध में गठित समितियों द्वारा तैयार दस्तावेज को परीक्षण एवं अनुमोदन के लिए भिजवाया गया, परन्तु प्रशासनिक विभाग द्वारा सूचित किया गया कि कार्मिक विभाग द्वारा रोस्टर रजिस्टर का अनुमोदन नहीं किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय को स्वयं के स्तर पर ही समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों के आधार पर कार्य सम्पादित करना होगा। तत्पश्चात उक्त कार्य हेतु कुलपति महोदया द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी एवं कार्मिक विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी भी सम्मिलित थे। इस समिति द्वारा तैयार दस्तावेज को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लगा कर दिनांक 26.08.2023 को सायं 4:00 बजे तक आपत्तियां मांगी गई हैं। इसे राज्यपाल सचिवालय तथा राज्य सरकार को भी भिजवाया जा रहा है। आपत्तियां प्राप्त होने की स्थिति में उनका निराकरण कर, तदनुसार आगामी कार्रवाई की जायेगी। कुलपति महोदया द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विश्वविद्यालय द्वारा कॅरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत शिक्षकों को प्रोन्नति दिए जाने के क्रम में वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के संबंध में प्रेषित पत्र क्रमांक 2728 दिनांक 01.08.2023 की पुष्टि की गई।

for VC

कुलपति

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

(अजय कुमार आर्य)
RAS
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)